फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

ईनायतो बनाम ओमपुरी वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 252/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
31 08/2021	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा में आई हुई है। जिसे वाद में परिशिष्ट अ के रूप में दर्शाया गया है। विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में दखलअन्दाजी, बेचान करने व हस्तक्षेप करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 19/11/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 08 रकबा 8.7088 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थीनी के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें न ही सेढों पर प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन पर तारबंदी, चीणो के टुकड़े रोपे व पक्का निर्माण आदि करे व न ही बेचान आदि करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 19/11/2021 को पेश हों। (हस्ताक्षर) (SDO) बायतु	
19 11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 02/05/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

02/05/2022 प्रार्थी के वकील उपस्थित/

विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-12/07/2022 को पेश हो/

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

12/07/2022 प्रार्थी के वकील उपस्थित/

विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक-25/07/2022 को पेश हो/

25/07/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित/ प्रार्थी का मूल वाद जरिये विड्रोवल खारिज हो चुका है/ इसलिए स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है/

अतः प्रार्थी का उक्त स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है/ पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो/

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर